संख्या /VI-I/2007-2(4) 2007

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 10 अगस्त 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 में वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-599(1)/XXVII (1)/2007, दिनांक- 12 जुलाई 2007 तथा शासनादेश संख्या - 63/VI-I/2007-2(4)2007 दिनांक 02 अप्रैल 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2007-08 के आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 1,04,78,000.00(रुपये एक करोड़ चार लाख अठत्तर हजार मात्र) निम्न तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या -11
लेखाशीर्षक -2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें
001-निदेशन तथा प्रशासन
04- प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण

आयोजनेत्तर (धनराशि हजार में)

क0स0	मानक मद	आय व्यय में प्राविधान	शा0 सं0 63 दि. 2.4.2007 द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	01- वेतन	5000	1500	3500
2.	03- महंगाई भत्ते	3000	795	2205
3.	06- अन्य भत्ते	550	183	367
4.	09- विद्युत देय	250	83	167
5.	08-कार्यालय व्यय	1000	-	1000
6.	10- जलकर/जलप्रभार	50	20	30
7.	11- लेखनसामग्री और फार्मों की छपाई	300	92	208
8.	13- टेलीफोन	250	83	167
9.	15- गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	800	233	567
10.	17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	67	33
11.	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	250	83	167
12.	44- प्रशिक्षण व्यय	300	100	200
13.	47- कम्प्युटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	150	33	117
14.	48- महंगाई वेतन	2500	750	1750
	योग-	14500	4022	10478

( )

1. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए
2. धनराशि का किसी भी दशा में व्यावर्तन नही किया जायेगा।
3. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय को समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा।
4. उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।
6. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 599(1)/XXVII (I)/2007, दिनांक– 12 जुलाई 2007द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किये जा रहें हैं।
7. इस सम्बंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक – 2204 के संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 131 /VI-I/2007–2(4) 2007तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0बल्दिया)
उपसचिव